

To,

The Registrar General,  
Hon'ble, National Green Tribunal,  
Principal Bench,  
Faridkot House, Copernicus Marg,  
New Delhi- 110001 .

Ref. No. 1007/2110-328/ओरखण्ड-432/2023/24

Dated. 31-01-24

**Sub: Regarding submission of Response/Reply in compliance of the order passed by Hon'ble N.G.T. dated 13.10.2023 in OA no. 432/2023 In the matter of Radhey Shyam Sehra Vs. State of Uttar Pradesh.**

Sir,

Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order passed by Hon'ble N.G.T. dated 13.10.2023 in OA no. 432/2023 In the matter of Radhey Shyam Sehra Vs. State of Uttar Pradesh. The Response/Reply is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

**Enclosures: As above**

Sincerely Yours,

  
(Krishna Karunesh)  
**District Magistrate  
Gorakhpur**

Ref. No.

Dated.

**Copy to: Following for information and further necessary action.**

1. Secretary Environment Govt. of Uttar Pradesh, Lucknow.
2. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow.

  
**District Magistrate  
Gorakhpur**

**Response of behalf of Respondent No.-3, Distict Magistrate, Gorakhpur, in compliance to the order dated 13.10.2023 passed by Hon'ble NGT Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 432/2023, Radheshyam Sehra v/s State of Uttar Pradesh & others:**

**Background**

Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi vide its order dated 01 August 2023 in the matter of O.A. No. 432/2023 Radhey Shyam Sehara Vs State of Uttar Pradesh to look into grievances of the applicant, hear the project proponent and verify the factual position. Relevant para of Hon'ble NGT order is as under-

“.....Prima facie, the averments made in the application raise questions relating to environment arising out of the implementation of the enactments specified in Schedule I to the National Green Tribunal Act, 2010.

In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) and District Magistrate (DM), Gorakhpur and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representatives of the concerned Project Proponents, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the concerned Project Proponents. The Committee may also refer to order of this Tribunal dated 13.09.2022 in O.A. NO. 116/2014 (Meera Shukla vs Municipal Corporation Gorakhpur & Ors.) inter alia directing for industrial pollution control, establishment of CETP and rejuvenation of River Ami, River Tapti and other rivers. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

Factual and Action taken Report may be submitted within one month by e-mail at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

List for further consideration on 13.10.2023: .....

In compliance of Hon'ble N.G.T. Order, Joint Committee submitted its report to the tribunal before the listing date by UPPCB, Lucknow vide letter no. H01742/C-6/General/789/OA no. 432/2023 dated 10.10.2023. The matter of O.A. No. 429/2023 was again here by Hon'be N.G.T. on 13.10.2023 and order was passed the relevant para of the order dated 13.10.2023 is as under:-

.....”3. *The Joint Committee has submitted that M/s Gallant Sariya Udyog (M/s Gallant Ispat Ltd.), M/s Ambey Kapada Udyog (M/s Ambey Processer) and M/s India Glycols Ltd. were found compliant. However, we find that the Joint Committee has not looked into the*

aspects as to whether the above said units require Environmental Clearance (EC) and if so whether the above said units have been granted EC. The Joint Committee has also not looked into the compliance with respect to EC (if any)/ CTE/CTO Conditions particularly with respect to plantation/green belt, carrying out of CSR/CER activities, generation and disposal of fly ash and quality of water quapresence of heavy metals.

4. The Joint Committee is directed to look into these aspects and submit further report covering all these aspects within three months by email at [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF.

List for further consideration on 08.02.2024.....”

### Response

**In compliance of the Hon’ble NGT order dated 01.08.2023 and 13.10.2023, Reply cum response of respondent no.3 is as below.**

1. For joint inspection of alleged Industries, District Magistrate, Gorakhpur has Nominated A.D.M. (City) as a committee member and Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow has Nominated Anil Kumar Sharma, Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Gorakhpur by vide letter no. H. 99063/C-6/Sa-789/O.A. No. 432/2023, dated 09.08.2023. Copy of the letter annexed as **annexure no. A.**
2. In Compliance of the above said order dated 01.08.2023, the alleged industries are jointly visited on 10.08.2023, 16.08.2023, 17.08.2023 and 23.08.2023 in presence of industries representative and joint inspection report has been already submitted in Hon’ble N.G.T. Court by UPPCB, Lucknow vide letter no. H 00742/C-6/Sa-789/O.A. No. 432/2023, dated 10.10.2023. Copy of the letter enclosed as **annexure no. B.**
3. On the basis of above the Joint inspection report, M/s Rungta Agencies (M/s Rungta Industries Pvt. Ltd.), BL-1, Sector-15, GIDA, Gorakhpur was found non complying with respect to water (prevention and control of pollution) Act 1974 and as amended. Due to that UPPCB, Lucknow has issued Show Cause Notice vide letter no. H 01610, dated 06.10.2023 under section 33A of water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 as it amended 1978, for imposing of Rs. 10,000.00 per day Environmental Compensation. A copy of the above show cause notice dated 06.10.2023 is enclosed as **annexure no. C.**
4. **In compliance of the order passed by Hon’ble National Green Tribunal dated 13.10.2023**, the joint team has again visited the above mentioned 04 industries M/s Gallent Sariya Udyog, M/s Ambey Kapda Udyog (Ambey Processor), M/s Rungta Agencies (Rungta Industries Pvt. Ltd.) and M/s India

Glycol Limited, Gorakhpur on dated 18.01.2024 & 20.01.2024 and detail joint inspection report uploaded/submitted on Hon'ble National Green Tribunal portal by UPPCB, Lucknow.

5. In compliance of Hon'ble N.G.T. Order dated 13.10.2023 all mentioned alleged industry has also filed their response/reply to Hon'ble N.G.T.

**Action Taken Report:**

Defaulting units M/s Rungta Agencies (M/s Rungta Industries Pvt. Ltd.), BL-1, Sector-15, GIDA, Gorakhpur has again visited and collected treated waste water sample by the joint team on dated 20.01.2024 and sample submitted for analysis to Regional Office Gorakhpur laboratory. As per the analysis report receive from laboratory, the parameters of the treated effluent are found within the prescribed norms and total treated waste water effluent was being found recycle in cooling process in unit and maintained Zero Liquid Discharge at the time of inspection.

As per the production record maintained in unit, total defaulter working days are determined 06 days. On the basic of the above defaulter days, Rs. 60000/- environmental compensation has been imposed on the unit by UPPCB, Lucknow vide Letter no. H.O. 62 dated 30-01-2024 Copy enclosed as **annexure no. D**.

The above response of the District Magistrate, Gorakhpur is placed before this Hon'ble N.G.T. for perusal and kind consideration.

  
(Krishna Karunesh)  
District Magistrate,  
Gorakhpur



उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

24-8-23

Ref. No. 199063

/सी.-6/सा0-789/O.A. No.432/2023

Dated 9-8-23

मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण/  
ई-मेल द्वारा

Annexure-A

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
गोरखपुर।

विषय: मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित O.A. No.432/2023 राधे श्याम सेहरा बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में पारित आदेश दिनांक 01.08.2023 के संबंध में। महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित O.A. No.432/2023 राधे श्याम सेहरा बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में पारित संलग्न आदेश दिनांक 01.08.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट कर। मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है :-

".....4. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) and District Magistrate (DM), Gorakhpur and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representatives of the concerned Project Proponents, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the concerned Project Proponents. The Committee may also refer to order of this Tribunal dated 13.09.2022 in O.A. NO. 116/2014 (Meera Shukla vs Municipal Corporation Gorakhpur & Ors.) inter alia directing for industrial pollution control, establishment of CETP and rejuvenation of River Ami, River Tapti and other rivers. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

5. Factual and Action taken Report may be submitted within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.

6. List for further consideration on 13.10.2023....."

मा0 अधिकरण द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं जिलाधिकारी, गोरखपुर की एक संयुक्त समिति गठित करते हुये समिति द्वारा 01 माह में एक्शन टेकन रिपोर्ट मा0 अधिकरण में दाखिल किये जान हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त प्रकरण मे मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नोडल एजेन्सी नामित किया गया है।

उपरोक्त वर्णित आदेश के अनुपालन में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से श्री अनिल कुमार शर्मा, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को संयुक्त समिति का सदस्य एवं नोडल अधिकारी नामित किया जाता है, जिनका मो0 नम्बर-07839891748, ई-मेल rogorakhpur@uppcb.in है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कमेटी हेतु सदस्य नामित करते हुए नोडल अधिकारी को सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे अनुपालन सुनिश्चित करते हुए कार्यवाही की आख्या निर्धारित समयावधि में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल की जा सक।

भवदीय

संलग्नक:-यथोपरि।

(अजय कुमार शर्मा)

सदस्य सचिव

प्रतिलिपि: क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित एक जिलाधिकारी, गोरखपुर से समन्वय स्थापित करते हुये मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में मा0 अधिकरण में आख्या दाखिल कराया जाना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

Noted  
Put it in  
file  
24/8/2023

Dated --10/10/23

To,  
The Registrar General,  
Hon'ble, National Green Tribunal,  
Principal Bench,  
Faridkot House, Copernicus Marg,  
New Delhi- 110001 .

**Sub: Regarding submission of Joint Committee Report along with Action Taken on behalf of UPPCB in compliance of the order dated 01.08.2023 in OA no. 432/2023 In the matter of Radhey Shyam Sehara Vs. State of Uttar Pradesh.**

Sir,  
Kindly refer to the subject mentioned above. In compliance of the order dated 01.08.2023 in OA no. 432/2023 In the matter of Radhey Shyam Sehara Vs. State of Uttar Pradesh. The Joint Committee Report along with Action Taken on behalf of UPPCB is enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action.

Enclosures: As above

Sincerely Yours,



(Dr. Ram Karan)

Chief Environment Officer  
(Circle-6)

Copy to: Following for information and further necessary action.

Shri Arvind Kumar Advocate, NGT, New Delhi for UPPCB.

Chief Environment Officer  
(Circle-6)



177  
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड Annexure-C  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या ...../वृत्त-6/ओ0ए0स0-432/23/जल-101/का0ब0नो0/गोरख0/2023 दिनांक 6/8/23  
पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स रूंगटा इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0,  
बी0एल0-1, सेक्टर-15, गीडा,  
जनपद-गोरखपुर।

यह कि उद्योग मैसर्स रूंगटा इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, बी0एल0-1, सेक्टर-15, गीडा, जनपद-गोरखपुर जिसमें कच्चे माल के रूप में राईस ब्रान, ऑयल केक एवं हेक्सेन का प्रयोग करके राईस ब्रान आयल के उत्पादन हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है, जो कि जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-47 के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 एन0जी0टी0 दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 432/2023 राधे श्याम सेहरा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 01-08-2023 के सुसंगत अंश निम्नवत् है:-

....." 4. In view of the averments made in the application, we consider it appropriate that a Joint Committee be constituted to verify the factual position and take appropriate remedial action. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) and District Magistrate (DM), Gorakhpur and direct the same to meet within one week, undertake visits to the site, look into the grievances of the applicant, associate the applicant and representatives of the concerned Project Proponents, verify the factual position and take appropriate remedial action by following due course of law and giving opportunity of being heard to the concerned Project Proponents. The Committee may also refer to order of this Tribunal dated 13.09.2022 in O.A. NO. 116/2014 (Meera Shukla vs Municipal Corporation Gorakhpur & Ors.) inter alia directing for industrial pollution control, establishment of CETP and rejuvenation of River Ami, River Tapti and other rivers. The UPPCB will be the nodal agency for coordination and compliance.

5. Factual and Action taken Report may be submitted within one month by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF." .....

यह कि मा0 एन0जी0टी0 दिल्ली द्वारा उपोक्तानुसार पारित आदेश के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति द्वारा उद्योग मैसर्स रूंगटा इण्डस्ट्रीज प्रा0 लि0, बी0एल0-1, सेक्टर-15, गीडा, जनपद-गोरखपुर का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 23.08.2023 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग उत्पादनरत पाया गया तथा श्री शिव कुमार पाण्डेय, प्रबन्धक उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे। निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र संचालित पाया गया तथा ई0टी0पी0 के आउटलेट एवं उद्योग परिसर के बाहर निस्तारित हो रहे उत्प्रवाह के एकत्रित नमूनों में बी.ओ.डी. प्रचालक की मात्रा क्रमशः 38.0 मि0ग्रा0/ली0 एवं 36.0 मि0ग्रा0/ली0 पाई गयी जो कि निर्धारित मानकों से अधिक है।

यह कि उद्योग को राईस ब्रान आयल के उत्पादन हेतु राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 28.12.2022 के माध्यम से सशर्त संचालानार्थ सहमति (जल एवं वायु) निर्गत है, जिसकी वैधता दिनांक 31.12.2024 तक है। उद्योग द्वारा सहमति शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

.....2/-

08/ SA  
का0ब0नो0 के  
8/11/2023

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010  
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764  
Email: info@uppcb.in; - Web Site: www.uppcb.com

यह कि उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत रखते हुए राज्य बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर द्वारा पत्र दिनांक 25.09.2023 के माध्यम से उद्योग मैसर्स रूंगटा इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, बी०एल०-1, सेक्टर-15, गीडा, जनपद-गोरखपुर के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतएव जन-स्वास्थ्य एवं व्यापक जनहित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि उद्योग के संचालन को रोका जाये।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए जन स्वास्थ्य के हित में राज्य बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों के अधीन जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण), 1974 (यथासंशोधित) की धारा 33 ए के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग के विरुद्ध निम्नरूपेण कारण बताओ नोटिस जारी किये जाते हैं:-

यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स रूंगटा इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, बी०एल०-1, सेक्टर-15, गीडा, जनपद-गोरखपुर को राज्य बोर्ड द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-25/26 के अन्तर्गत निर्गत संचालनार्थ सहमति आदेश पत्र दिनांक 28.12.2022 को रिवोक/निरस्त कर दिया जाये।

1. यह कि क्यों न उद्योग मैसर्स रूंगटा इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, बी०एल०-1, सेक्टर-15, गीडा, जनपद-गोरखपुर का संचालन तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाये।
2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारी से अपेक्षा की जाये कि उद्योग मैसर्स रूंगटा इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, बी०एल०-1, सेक्टर-15, गीडा, जनपद-गोरखपुर को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जलापूर्ति तथा अन्य सुविधाओं को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दे।

उक्त के अतिरिक्त यह भी स्पष्ट करें कि क्यों न मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली के आदेशों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्मित गाइड लाइन के अनुसार उद्योग मैसर्स रूंगटा इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०, बी०एल०-1, सेक्टर-15, गीडा, जनपद-गोरखपुर के विरुद्ध दिनांक 23.08.2023 से सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने तक रू० 10,000 (रू० दस हजार मात्र) प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये

उक्त कारण बताओ नोटिस के संबंध में पूर्ण विवरण के साथ अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करें। उद्योग द्वारा उपरोक्त वर्णित निर्देशों का उत्तर न प्रेषित करने अथवा संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण), 1974 (यथासंशोधित) की धारा 33ए के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं उद्योग स्वामी एवं उद्योग का होगा।

सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,  
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी कारण बताओ नोटिस के सन्दर्भ में 15 दिन के उपरान्त 01 सप्ताह के अन्दर निरीक्षण कर स्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी,  
(वृत्त-6)



179

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड Annexure - D  
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

Ref. No. 1062/सी-6/सहमति जल-101/निक्षेप/गोरखपुर/2024

Dated 30/1/24  
पंजीकृत

सेवा में,

मेसर्स रूंगटा इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०,  
बी०एल०-1, सेक्टर-15, गीडा,  
जनपद-गोरखपुर।

क्र० नं०-0551-2880361

विषय:- उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974  
यथासंशोधित की धारा-33ए के अन्तर्गत निर्गत कारण बताओ नोटिस दिनांक  
06.10.2023 को निक्षेपित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच.01610/वृत्त-6/ओ०ए०सं०-432/2023/जल-101/का०ब०नो०/गोरखपुर/2023 दिनांक 06.10.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में उद्योग द्वारा प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

उक्त कारण बताओ नोटिस एवं उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के परिप्रेक्ष्य में उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर द्वारा दिनांक 08.11.2023 को किया गया तथा निरीक्षण के समय दिनांक 08.11.2023 को उद्योग में स्थापित उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र के आउटलेट से एकत्रित शुद्धिकृत उत्प्रवाह के जल नमूनों में प्रचालकों की मात्रा निर्धारित मानकों के अनुरूप पायी गयी है। क्षेत्रीय अधिकारी, गोरखपुर की दिनांक 19.01.2024 की आख्यानुसार उद्योग में कच्चा माल (राइस ब्रान) न मिलने के कारण के कारण दिनांक 26.08.2023 से इकाई में उत्पादन कार्य बन्द कर दिया गया है तथा दिनांक 06.11.2023 से पुनः उत्पादन कार्य शुरू कर दिया गया है। क्षेत्रीय कार्यालय की आख्यानुसार उद्योग में दिनांक 23.08.2023 से 26.08.2023 तक उल्लंघनकारी दिवसों की संख्या 04 एवं दिनांक 06.11.2023 से दिनांक 07.11.2023 तक उल्लंघनकारी दिवसों की संख्या 02 है। इस प्रकार कुल उल्लंघनकारी दिवसों की संख्या 06 आंकलित की गयी है।

उद्योग को बोर्ड द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 06.10.2023 में उल्लिखित है कि उद्योग के विरुद्ध दिनांक 23.08.2023 से सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने तक रू० 10000/- (रू० दस हजार मात्र) प्रतिदिन की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जायेगी। इस प्रकार उद्योग के उल्लंघनकारी दिवस कुल 06 दिवसों के सापेक्ष कुल रू० 60000/- (रू० साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित होती है।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पत्र दिनांक 19.01.2024 के माध्यम से उद्योग के उल्लंघनकारी दिवसों के सापेक्ष कुल रू० 60000/- (रू० साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.10.2023 को सशर्त निक्षेप किये जाने की संस्तुति प्रेषित की गयी है।

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010

Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720691 - Fax: 0522 - 2720764

Email: info@uppcb.in - Web Site: [www.uppcb.com](http://www.uppcb.com)

अतः उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन, क्षेत्रीय अधिकारी की संस्तुति एवं उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये उद्योग के विरुद्ध रू0 60000/- (रू साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये उद्योग के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 यथासंशोधित की धारा-33ए के अन्तर्गत जारी कारण बताओं नोटिस दिनांक 06.10.2023 को सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निम्न शर्तों के अधीन निक्षेप किया जाता है:-

1. उद्योग के विरुद्ध 06 उल्लंघनकारी दिवस हेतु रू0 60000/- (रू साठ हजार मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की जाती है। उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि विलम्बतम् 15 दिवस में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, विभव खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ स्थिति बैंक के खाता संख्या 701502010002104 IFSC कोड **UBIN 0570150** में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
2. उद्योग से जनित शुद्धिकृत उत्प्रवाह की अधिकतम मात्रा रिसाइक्ल किया जायें।
3. उद्योग को निर्गत सहमति जल/वायु में जारी शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
4. उद्योग द्वारा ई0टी0पी0 का समुचित एवं अनवरत संचालन सुनिश्चित किया जाये तथा उत्प्रवाह को मानकों के अनुरूप ही निस्तारित किया जाये।

सक्षम अधिकारी द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
(वृत्त-6)

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, गोरखपुर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गोरखपुर।

  
मुख्य पर्यावरण अधिकारी  
(वृत्त-6)

पं० 